राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 579/2025

आशीष कुमार गेहरोत्रा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD), बीकानेर डिवीजन।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 17.03.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री नवनीत सिंह बिर्ख, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– लेखराज तोसावडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, श्रीगंगानगर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से जिला खण्ड द्वितीय बीकानेर में किया गया है। अपीलार्थी का आगे कथन है कि अपीलार्थी वर्ष 1991 में कनिष्ठ लिपिक के पद पर जयपुर में नियुक्त हुआ (अनुलग्नक–2)। तत्पश्चात वर्ष 2011 में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश की अनुपालना में वृत्त श्रीगंगानगर में किया गया (अनुलग्नक–3)। बाद में वर्ष 2016 को वृत्त गंगानगर से खण्ड गंगानगर किया गया (अनुलग्नक–4)। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.02.2021 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण खण्ड गंगानगर से खण्ड अनूपगढ किया गया।

3. प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.10.2021 (अनुलग्नक–6) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण खण्ड अनूपगढ से खण्ड श्रीगंगानगर किया गया।

4. अपीलार्थी का आगे कथन है कि अपीलार्थी अल्पवेतन भोगी है तथा प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा बार–बार स्थानांतरण किया जा रहा है जिससे उसे व उसके परिवार को कई परेशानियों का सामना करना पडता है। अपीलार्थी का आलोच्य स्थानातरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से जिला खण्ड द्वितीय बीकानेर में किया गया है जो बिना प्रशासनिक आवश्यकता तथा जनहित के जारी किया गया है, जो नियम विरुद्ध है।

5. अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाये जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01. 2025 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरंतर कार्य करने दिया जावे।

6. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।

7. प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

8. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य